समाचार वाणी

ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

बेगंलुरु के बाद महाराष्ट्र मे भी बाइक टैक्सी पर लगेगा बैन ? Uber और Rapido की बढ़ी मुश्किले।

Publisher Published on 19 Jun 2025

मुंबई मे बिना परमिट चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई शुरू, RTO और पुलिस की जांच के बाद Uber, Rapido पर दर्ज हुआ केस।

मुंबई : बेंगलुरु के बाद अब **महाराष्ट्र भी बाइक टैक्सी सेवाओं** पर सख्ती की राह पर है। राज्य की राजधानी **मुंबई मे RTO और पुलिस ने जांच के बाद Uber और Rapido** जैसी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कंपनियों पर आरोप है कि वे **बिना कमर्शियल परमिट के बाइक टैक्सी** चला रही थीं। इस कदम से संकेत मिलते हैं कि महाराष्ट्र में भी जल्द ही बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला ?

मुंबई पुलिस और **परिवहन विभाग** ने छानबीन के लिए खुद यात्रियों के रूप में **बाइक टैक्सी** बुक की। उन्हें सफेद नंबर प्लेट वाली निजी बाइकों पर सवारियां ढोते हुए पाया गया।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां केवल निजी उपयोग के लिए होती हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग गैरकानूनी है।

यह सीधा कानून का उल्लंघन है, जिसके बाद **Uber और Rapido** पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है।

बाइक टैक्सी क्यों है इतनी लोकप्रिय ?

बाइक टैक्सी महानगरों में एक तेजी से उभरता कम लागत वाला और तेज़ ट्रैवल विकल्प बन गई है। खासकर मुंबई जैसे भीड़भाड़

वाले शहरों में—

१. **ट्रैफिक से बचने**
२. **सस्ते किराए**
३. **मेट्रो स्टेशनों या दफ्तर तक जल्दी पहुंचने**
४. **और युवाओं मे इंसके ट्रेडं के चलते**
५. **हर दिन हजारों लोग इन सेवाओं का उपयोग कर रहे है।**

कानूनी स्थिति क्या कहती है?

१. **भारत मे अंभी तक बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट केद्रीय नीति नहीं बनी है।**
२. **बिना परमिट बाइकों पर सवारी कराना गैरकानूनी है**
३. **कंपनियां इसे "टेक प्लेटफॉर्म" बताकर बचने की कोशिश करती है**
४. **पर कोर्ट मे यंह तर्क मान्य नहीं होता**

'पार्सल ट्रिक' पर भी लग गया ब्रेक

कुछ कंपनियां, खासकर **Rapido, यात्रियों को 'पार्सल'** घोषित कर **डिलीवरी सर्विस** बताकर नियमों से बचने की कोशिश करती थीं। लेकिन अब **सरकार** और **अदालते** इंस चालाकी को खारिज कर रही हैं।

यूनियन का विरोध और दबाव

ऑटो और टैक्सी यूनियनों का कहना है कि जब वे:

१. **परमिट शुल्क**
२. **कमर्शियल इंश्योरेसं**
३. **फिटनेस सर्टिफिकेट**
४. **और टैक्स भरते है**

तो बाइक टैक्सी सेवाओं को यह छूट क्यों मिलनी चाहिए? यही वजह है कि **कर्नाटक मे यूनियन** के दबाव पर कार्रवाई हुई और अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति बन रही है।

आगे क्या हो सकता है?

१. **कुछ हाई कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुके है कि राज्यों को बाइक टैक्सी के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।**
२. **लेकिन अब तक केद्रं और राज्य सरकारों की ओर से ठोस गाइडलाइंस नहीं आई है।**
३. **संभावना है कि मुंबई मे भी बाइक टैक्सी सेवाएं कुछ समय के लिए सस्पेडं हो सकती है, जब तक स्पष्ट नियम नहीं बनते।**

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.